<u>न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप. विविध जमानत आवेदन सं. **168/2026**</u>

<u>सी.आई.एस. नंबर **161/2026**</u>

1. मेघराज पुत्र लक्ष्मीनारायण, उम्र 29 वर्ष, निवासी गोविन्दपुरा, पुलिस थाना पुलिस झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)

2. हेमराज उर्फ भटेरा पुत्र रामनारायण, उम्र 27 वर्ष, निवासी गोविन्दपुरा, पुलिस थाना पुलिस झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.) **-प्रार्थी/अभियुक्तगण**

बनाम

राजस्थान राज्य। **-अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **46/2026** पुलिस थाना **झालरापाटन**
अपराध अंतर्गत **धारा 115(2), 126(2), 117(2),**
110, 352, 3(5) बी.एन.एस., 4/25 आर्म्स एक्ट

<u>उपस्थित</u>

1.श्री हर्षित राठौर, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से।

2.श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांक 11.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का **प्रथम** प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **धारा 483** B.N.S.S. में प्रस्तुत हुआ है, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.02.2026 को परिवादी किशनलाल ने एस.आर.जी. झालावाड़ में एक पर्चा बयान इस आशय का दिया है कि वह दिनांक 14.02.2026 को शाम 7 बजे करीब खेत से गांव गोविंदपुरा जा रहा था। रास्ते में मेघराज, लक्ष्मीनारायण, राजाराम उर्फ छोटू व रामनारायण का लड़का बटेरा उसके साथ गाली गलौच करने लग गए। वह वहां से जाने लगा तो मेघराज ने उसके आडे फिरकर उसे रोक लिया। मेघराज ने लकड़ी की उसके सिर पर

मारी, जिससे उसके खून निकल आया। फिर लक्ष्मीनारायण ने लट्ठ की उसके हाथ पर मारी तथा राजाराम ने तलवार की मारी जो उसके बांये पेट पर लगी, जिससे उसके खून निकल आया। पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ मारपीट की। इत्यादि। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभी प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

3. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है, उनका अपराध से कोई संबंध नहीं है, उनको झूंठा फंसाया गया है। उनसे कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व बाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उनके, बाद जमानत भागने-फरार होने अथवा गवाहान को डराने धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। इस प्रकरण के सह अभियुक्त **लक्ष्मीनारायण** का जमानत का प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण का प्रकरण अन्य सह अभियुक्त के प्रकरण से भिन्न नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 115(2), 126(2), 117(2), 110, 352, 3(5) बी.एन.एस.** का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण **दिनांक 22.02.2026** से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। केस डायरी के साथ संलग्न आहत किशन के चोट प्रतिवेदन के अनुसार उसके निम्नलिखित चोटें पाई गई हैं-

1 STITCHED WOUND OF SIZE 4 CM ? DEEP PRESENT ON RIGHT OCCIPITAL REGION WITH CLOTTED BLOOD

2 ABRASION OF SIZE 5 X 2 CM PRESENT ON RIGHT SIDE OF FOREHEAD WITH 2 REDDISH IN COLOUR

3 ABRASION OF SIZE 3X1 CM PRESENT ON LOWER 3RD OF RIGHT FOREARM WITH DIFFUSE SWEELING AND REDDISH IN COLOUR

4 ABRASION OF SIZE 7X3 CM PRESENT ON LEFT MID FOREARM WITH DIFFUSE SWEELING AND REDDISH IN COLOUR

5 PRESSURE BANDAGE WITH POP SLAB PRESENT ON RIGHT ARM WHICH IS EXTENDING TO BELOW RIGHT ELBOW WITH COMPLAINT OF PAIN

6 PRESSURE BANDAGE WITH POP SLAB PRESENT ON LEFT ARM WHICH IS EXTENDING TO BELOW LEFT ELBOW WITH COMPLAINT OF PAIN

7 LARGE BRUISE COVERING AREA OF RIGHT LEG POSTERIOR ASPECT LATERALLY AND MEDIALLY WITH SWEELING AND REDDISH IN COLOUR

8 PRESSURE BANDAGE PRESENT ON RIGHT LOWER 1/3 RD OF LEG WITH SWELLING

9 PRESSURE BANDAGE PRESENT ON LEFT MID 1/3 RD OF LEG WITH SWELLING

10 LARGE BRUISE COVERING AREA OF LEFT LEG POSTERIOR ASPECT LATERALLY WITH SWEELING AND REDDISH IN COLOUR

INJURY NO. 2, 3, 4 IS SIMPLE IN NATURE AND OPINION FOR INJURY NO. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 WILL BE GIVEN AFTER RECEVING CLINICAL NOTES AND MLC X RAY REPORT

Guidelines

As per Section 116 BNS, Any injury falling under following clauses is grievous:-

1. Emasculation.

2. Permanent privation of the sight of either eye.

3. Permanent privation of the hearing of either ear

4. Privation of any member or joint.

5. Destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint.

6. Permanent disfiguration of the head or face.

7. Fracture of dislocation of a bone or tooth.

8. Any hurt (i) which endangers life or (ii) which causes the suffer to be during the space of fifteen days.

(a) in serve bodily pain, or

(b) Unable to follow his ordinary pursuits.

At the end in column No.7 opine whether multiple injuries, individually simple, are collectively dangerous to life.

OPINION

INJURY NO. 1 IS SIMPLE THERE IS NO BONY INJURY IN SKULL

INJURY NO. 5 GREVIOUS IN NATURE DUE RIGHT HUMERUS BONE FRACTURE AND SECOND METACARPLE BONE FRACTURE

INJURY NO. 6 GREVIOUS IN NATURE DUE LEFT HUMERUS BONE FRACTURE INJURY

INJURY NO. 7 AND 8 IS GREVIOUS IN NATURE DUE TO RIGHT FIBULA BONE FRACTURE INJURY NO. 9 AND 10 GREVIOUS IN NATURE DUE TO LEFT FIBULA

BONE FRACTURE INJURY OPINION FOR OBJECT

7. पर्चा बयान में आहत ने यह अभिकथन किए हैं कि रामनारायण का लडका **(हेमराज)** मिला**, मेघराज ने लकड़ी की उसके सिर पर मारी**, लक्ष्मीनारायण ने लट्ठ की उसके हाथ पर मारी तथा राजाराम ने तलवार की मारी जो उसके बांये पेट पर लगी। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का आपराधिक रेकार्ड **निल** बताया गया है। प्रकरण के अनुसंधान व उसके उपरांत आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण के सह अभियुक्त **लक्ष्मीनारायण** का जमानत का प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अतः गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त निष्कर्ष, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं है और केवल जमानत आवेदन को तय करने हेतु लिया गया निष्कर्ष मात्र है।

8. अतः उक्त प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस प्रकरण में **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से **विद्वान विचारण न्यायालय** के संतोषप्रद **50,000/-रूपये** का स्वयं का **बंधपत्र** व **25,000-25,000/-रूपये** की **दो जमानतें** प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी जावें तो प्रार्थी/अभियुक्तगण को **इस प्रकरण** में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

9. आदेश आज दिनांक **11.03.2026** को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL MAJID

Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by ABDUL MAJID
Date: 2026.03.11 14:26:29 +0530

नोट: यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।